

24

17-13 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित हैं।
पत्रावली का अवलोकन किया गया तो
साज तक भी पत्रावली देखाएलवाना सामान
पेश नहीं किया है - बल्कि पूर्व में कई सप्तर
दिपेजा कुले है, इससे यह है कि वादीगण
अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
अतः वादीगणों का वाद 09R-5 में स्वीकृत
किया गया। पत्रावली केसल शुमार देकर
ई नम्बर से काम हो। आदेश स्क्रीन यामालय
में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Web Copy - Not Official